क्रम संख्या–63

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 अप्रैल, 2009 ई0

चैत्र 30, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178/XXXVI(3)/15/2009

देहरादून, 20 अप्रैल, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2008 पर 16 अप्रैल, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2009 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2008

(अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2009)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 का उत्तराखण्ड राज्य के लिये अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2008 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 39 की उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर नये परन्तुक का अन्तः स्थापन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 39 की उपधारा (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपर्युक्त प्रतिशत को घटा अथवा बढ़ा सकेगी।"

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

No. 178/XXXVI(3)/15/2009
Dated Dehradun, April 20, 2009

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973) Adaptation and Modification Order, 2006 (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 05 of 2009)

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16th April, 2009.

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH TOWN PLANNING & DEVELOPMENT ACT, 1973) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2006 (AMENDMENT) ACT, 2008

(ACT No. 05 OF 2009)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973) Adaptation and Modification Order, 2006 for the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted in the Uttarakhand Legislative Assembly in the Fifty Ninth Year of the Republic of India as follows :--

Short Title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973) Adaptation and Modification Order, 2006 (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall come into force at once.

Insertion of new proviso in place of proviso of Section 39(1)

2. In sub-section (1) of sections 39 of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973) Adaptation and Modification Order, 2006, the following Proviso shall be inserted in place of existing proviso, namely :--

"Provided that the State Government by Notification in Gazette, may increase or decrease the aforementioned percentage in stamp duty."

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 14 विधायी/228–2009–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।